उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन, टिहरी कोठी, लखनऊ 226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0 2622363,
फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578
e-mail : info@upsrtc.com
website : www.upsrtc.com

अति--महत्वपूर्ण

संख्याः 678(1)एलएएस/13-801एलएएस/09 दिनांकः 13 मई, 2013

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
2. समस्त सहायक विधि अधिकारी/
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक)
(जहॉं स0वि0अधि0 तैनात नही हैं)
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– मा0 उच्च न्यायालयों एवं मा0 जिला न्यायालयों में आयोजित होने वाली लोक अदालतों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

मा0 न्यायालयों में लम्बित मोटर दुर्घटना वादों के त्वरित निस्तारण हेतु मा0 जिला न्यायालयों एवं मा0 उच्च न्यायालयों में लोक अदालतें आयोजित की जाती है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लोक अदालतों में निगम का सही प्रतिनिधित्व न होने के कारण लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण अपेक्षानुरूप नही हो रहे है। अतः इस सम्बन्ध में वादों के सम्यक् निस्तारण हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

1. लोक अदालतों में प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी सम्बन्धित पत्रावली की अद्यतन सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करे।
2. लोक अदालतों में समझौता के माध्यम से निस्तारण योग्य वादों की सूची तैयार की जाय तथा लोक अदालत में सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होने के पूर्व वादों का भली–भाँति अध्ययन कर ब्रीफ नोट तैयार कर साथ में रखें।
3. समझौता करते समय निगम का मुख्य उद्देश्य स्टेट लिटीगेशन पॉलिसी के अनुसार वाद का निस्तारण कर लम्बित वादों की संख्या में कमी लाना रखा जाय।
4. लोक अदालत में सम्मिलित किये जाने वादों की सूची समय से सम्बन्धित मा0 न्यायालय को प्रेषित की जाय, ताकि मा0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक संख्या में वादकारियों को उपस्थित होने के लिए नोटिस प्रेषित की जा सके।
5. भविष्य में लोक अदालतों में अधिक से अधिक अपीलों में समझौता करने के प्रभावी प्रयास किये जाय।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

13.05.13

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com